

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017—श्रावण 14, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. 13259-183-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१७

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०१७

[ दिनांक ३ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अगस्त, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१७ है.

वित्तीयवर्ष २०१७-२०१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ५०,५९,४५,९७,४०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पांच हजार उनसठ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तानवे हजार चार सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व १०,३७,५०,००० पूंजी ३,६५,७६,०००	९२,५०,००० ०	११,३०,००,००० ३,६५,७६,०००
०३.	पुलिस	राजस्व ५,३६,९५,४००	०	५,३६,९५,४००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १२,१२,७९,०००	०	१२,१२,७९,०००
०६.	वित्त	राजस्व १०,००,६००	०	१०,००,६००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व १०,९००	१००	११,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१०. वन	राजस्व	१०,०५,५८,०००	०
			१०,०५,५८,०००
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	५०,००,०००	०
			५०,००,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	८,०५,००,००,०००	०
	पूंजी	१००	०
			८,०५,००,००,०००
			१००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४०,००,०१,३००	०
			४०,००,०१,३००
१४. पशुपालन	राजस्व	२९,४५,८३,०००	०
	पूंजी	८०,००,०००	०
			२९,४५,८३,०००
			८०,००,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	५,८०,००,००,०००	०
			५,८०,००,००,०००
१८. श्रम	राजस्व	१,०७,४०,५००	०
			१,०७,४०,५००
२१. लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	२,५०,००,०००	०
			२,५०,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	५,५९,०५,००,४००	०
	पूंजी	८,२८,२३,००,०००	०
			५,५९,०५,००,४००
			८,२८,२३,००,०००
२३. जल संसाधन	पूंजी	१,४००	०
			१,४००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	७,४००	०
			७,४००
२५. खनिज साधन	पूंजी	१००	०
			१००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	१०,००,००,०००	०
			१०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२३,२९,००,०००	६,००,००,१००	२९,२९,००,१००
३१..	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	९५,००,०००	०	९५,००,०००
		पूंजी	२०,७०,५५,६००	०	२०,७०,५५,६००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व	४,८९,८३,०००	०	४,८९,८३,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,३१,८५,१००	०	१,३१,८५,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	७००	०	७००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	६००	०	६००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	२,००,००,००,१००	०	२,००,००,००,१००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	५०,००,००,१००	०	५०,००,००,१००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६६,६०,५१,०००	०	६६,६०,५१,०००
		पूंजी	४५,००,००,०००	०	४५,००,००,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१२,७३,००,००,०००	०	१२,७३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	६६,५२,२३,०००	०	६६,५२,२३,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	७७,२५,४१,५००	०	७७,२५,४१,५००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१०,८०,००,०००	०	१०,८०,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
		पूंजी	६८,८१,५२,३००	०	६८,८१,५२,३००
योग :		{ राजस्व :	३५,९८,०७,१२,१००	६,९२,५०,२००	३६,०४,९९,६२,३००
		{ पूंजी :	१४,५४,४६,३५,१००	०	१४,५४,४६,३५,१००
वृहद-योग :			५०,५२,५३,४७,२००	६,९२,५०,२००	५०,५९,४५,९७,४००

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. 183-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2017

## THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 3rd August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th August, 2017.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2017-2018.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

## Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2017.

Issue of Rs. 50,59,45,97,400 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Five thousand fifty nine crore forty five lakh ninety seven thousand four hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

## Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

## THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration	Revenue	10,37,50,000	<b>92,50,000</b>	11,30,00,000
		Capital	3,65,76,000	<b>0</b>	3,65,76,000
03.	Police	Revenue	5,36,95,400	<b>0</b>	5,36,95,400
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	12,12,79,000	<b>0</b>	12,12,79,000
06.	Finance	Revenue	10,00,600	<b>0</b>	10,00,600
07.	Commercial Tax	Revenue	10,900	<b>100</b>	11,000
10.	Forest	Revenue	10,05,58,000	<b>0</b>	10,05,58,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
12.	Energy	Revenue	8,05,00,00,000	0	8,05,00,00,000
		Capital	100	0	100
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	40,00,01,300	0	40,00,01,300
14.	Animal Husbandry	Revenue	29,45,83,000	0	29,45,83,000
		Capital	80,00,000	0	80,00,000
17.	Co-operation	Revenue	5,80,00,00,000	0	5,80,00,00,000
18.	Labour	Revenue	1,07,40,500	0	1,07,40,500
21.	Public Services and Management	Revenue	2,50,00,000	0	2,50,00,000
22.	Urban Development and Environment	Revenue	5,59,05,00,400	0	5,59,05,00,400
		Capital	8,28,23,00,000	0	8,28,23,00,000
23.	Water Resources Department	Capital	1,400	0	1,400
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	7,400	0	7,400
25.	Mineral Resources	Capital	100	0	100
28.	State Legislature	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
29.	Law and Legislative Affairs.	Revenue	23,29,00,000	6,00,00,100	29,29,00,100
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	95,00,000	0	95,00,000
		Capital	20,70,55,600	0	20,70,55,600

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
33.	Tribal Welfare	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
35.	Micro, Small & Medium Enterprises	Capital	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
37.	Tourism	Revenue	100	0	100
		Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
38.	Ayoush	Revenue	4,89,83,000	0	4,89,83,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,31,85,100	0	1,31,85,100
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	700	0	700
45.	Minor Irrigation Works	Capital	600	0	600
48.	Narmada Valley Development	Capital	2,00,00,00,100	0	2,00,00,00,100
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	50,00,00,100	0	50,00,00,100
52.	Medical Education Department	Revenue	66,60,51,000	0	66,60,51,000
		Capital	45,00,00,000	0	45,00,00,000
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	12,73,00,00,000	0	12,73,00,00,000
55.	Women and Child Development	Revenue	66,52,23,000	0	66,52,23,000
56.	Rural Industry	Revenue	7,50,000	0	7,50,000
60.	Expenditure pertaining to				



(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
	District Plan Schemes			
	Capital	77,25,41,500	0	77,25,41,500
64.	Financial assistance to Urban bodies			
	Revenue	10,80,00,000	0	10,80,00,000
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	30,00,00,000	0	30,00,00,000
	Capital	68,81,52,300	0	68,81,52,300
	Revenue ..	35,98,07,12,100	6,92,50,200	36,04,99,62,300
	<b>Total</b> .. { Capital ..	14,54,46,35,100	0	14,54,46,35,100
	<b>Grand Total</b> ..	50,52,53,47,200	6,92,50,200	50,59,45,97,400